राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक– F.1(1)(12) सामान्य/ICDS/2016/Part II/ जयपुर, दिनांक

1. जिला कलक्टर,
समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय– आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 15 अगस्त व 26 जनवरी को झण्डारोहण करने व अन्य राष्ट्रीय पर्व व त्यौहार आदि समारोहपूर्वक मनाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अपने राष्ट्रीय पर्व–स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) व गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) आदि के महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि आंगनबाडी केन्द्रों पर भी 15 अगस्त व 26 जनवरी को समारोहपूर्वक झण्डारोहण किया जाए।

इन राष्ट्रीय पर्वों के दिन आंगनबाडी कार्यकर्ता क्षेत्र के किसी वरिष्ठ व गणमान्य नागरिक अथवा जनप्रतिनिधि/ अधिकारियों से केन्द्र पर समारोहपूर्वक झण्डारोहण कराये। बच्चों के तिलक लगाकर उन्हें केन्द्र पर आयोजित समारोह में बिठाया जाए तथा उनके अभिभावकों व स्थानीय निवासियों के साथ–साथ यथासंभव अन्य केन्द्र लाभार्थियों यथा–गर्भवती व धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को भी केन्द्र पर आमंत्रित किया जाए।

समारोह के आयोजन के लिए जनसहयोग से अथवा किसी भामाशाह के माध्यम से बच्चों को फल/मिठाई/ टॉफी आदि बांटी जाए तथा केन्द्र पर बच्चों से कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन कराया जा सकता है। अपेक्षित जनसहयोग उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में समारोह के आयोजन के लिए प्रति आंगनबाडी केन्द्र लोचशील कोष (Flexi fund) से राशि रू. 100/– का व्यय किया जा सकेगा।

उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला/ परियोजना स्तरीय कार्यालय के साथ–साथ, जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर राजकीय सम्मान के साथ झण्डारोहण कार्यक्रम का आयोजन हों तथा सूर्यास्त से पूर्व राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान सहित उतारना भी सुनिश्चित करें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

क्रमांक– 99154-492 जयपुर, दिनांक 27.7.16
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, म.बा.वि., जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उनके जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर राजकीय सम्मान के साथ झण्डारोहण समारोह का आयोजन कराए।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऐं को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उनके परियोजना परिक्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गणमान्य नागरियों की उपस्थिति में राजकीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए झण्डारोहण कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित कराऐं।

(बिन्दु करूणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (I)